

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 92/2020 (2020/00441)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 04.09.2020

शीर्षक

1. मांगी पुत्री खेमा वैरवा निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
--प्रार्थीया

बनाम

1. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत गोवलिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. तख्तसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. हीरा पिता किसना जाट निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सोहन पिता लेहरू जाट निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. गणेश पिता हरूलाल जाट निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. मूलसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. सुन्दरदेवी पुत्री अम्बालाल जाट निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. लादूलाल पिता मगनीराम जाट निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. भेरूलाल पिता पृथ्वीराज जाट निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. पारसी पुत्री अम्बालाल जाट निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. रामलाल पिता लेहरूलाल जाट निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. राजस्थान राज्य जरिये तसहीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर

--विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीया:- श्री मनोहर लाल बापना

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-20.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम खजूरिया पटवार हल्का गोवलिया तहसील सहाड़ा की वैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 406 रकबा 0.30 हे0, 63 रकबा 0.03 हे0, 64 रकबा 0.32 हे0, 65 रकबा 0.02 हे0, 66 रकबा 0.34 हे0, 67 रकबा 0.20 हे0, 68 रकबा 0.71 हे0, 73 रकबा 0.64 हे0 कुल कित्ता 08 कुल रकबा 2.56 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 72 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।



उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 13 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम खजूरिया पटवार हल्का गोवलिया तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आवादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 406 रकबा 0.30 हे०, 63 रकबा 0.03 हे०, 64 रकबा 0.32 हे०, 65 रकबा 0.02 हे०, 66 रकबा 0.34 हे०, 67 रकबा 0.20 हे०, 68 रकबा 0.71 हे०, 73 रकबा 0.64 हे० कुल कित्ता 08 कुल रकबा 2.56 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 72 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत बाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीया वतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 850/- (आठ सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 850/- (आठ सौ पचास रु. मात्र) सम्वन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापुर को तहरीर जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अधिवक्ता
गंगापुर जिला न्यायालय
गंगापुर(भीलवाडा) 2.